(2)

क्रमांकः प.4 (6) कार्मिक/क-3/78 जयपुर, दिनांक 17 MAY 2000

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिव,
2. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित),
3. समस्त नियंत्रण अधिकारी।

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत राजसेवक अपने इच्छित स्थान पर पदस्थापन एवं सेवा संबंधी मामलों के लिए राजनैतिक एवं गैर राजनैतिक व्यक्तियों का प्रभाव डलवाते हैं। उनका यह आचरण कदाचार की संज्ञा में आता है। इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 24 के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी राजसेवक अपने सेवा संबंधी कार्यों हेतु अपने उच्चाधिकारियों पर राजनैतिक दबाव नहीं डलवायेंगे। इस विभाग द्वारा पूर्व में भी परिपत्र कमांक प.4 (1) नि/ए-3/72 दिनांक 8.1.73, प. 4 (6) नि/ए-3/78 दिनांक 26.10.78 एवं प. 4 (6) कार्मिक/क-3/78 दिनांक 7.5.99 प्रसारित किये गये हैं जिनमें स्पष्ट निर्देश हैं कि जो राजसेवक राजनैतिक एवं अन्य प्रभाव सेवा संबंधी मामलों में उपयोग में लाते हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे और इसका अभिलेख रखा जावे। परंतु वास्तविक रूप से इसकी पालना नहीं हो पाने के कारण राजकार्य को प्रभावी एवं सुचारू रूप से संचालन में अनेकानेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

अतः समस्त प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों/विभागाध्यक्षों एवं नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि उनके विभाग का कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी पर अपने सेवा संबंधी कार्यों हेतु राजनैतिक या अन्य प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं तो उसे गम्भीरता से लिया जाए तथा उनके द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के नियम 24 की अवहेलना करने के कारण उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे।

(बी.पी. आर्य) 17/5/2000
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
1. प्रमुख शासन सचिव, महा. राज्यपाल/मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्री/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अनुभागाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. प्रशासनिक सुधार (संकलन शाखा) विभाग को 7 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है-
1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

शासन उप सचिव